...ायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

...र्ता कां. 2/116/2023 तारीख रजू...........................

शिवप्रकाश बनाम शिवदयाल वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स, जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.2023	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकिल प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकिल सायल ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकिल सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी की आराजीयात खसरा नम्बर 472/388,473/395 वाके ग्राम भरीथल तहसील कठूमर में प्रार्थी के कब्जेकास्त में रूकावट पैदा ना करें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है। ऐसे में अप्रार्थी में से किसी के उपस्थित होकर बहस के लिऐ कहने पर बकिल प्रार्थीगण अनिर्वात बहस करनी होनी अन्यथा एक्स पार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावेगा। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 16.06.2023 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 16.06.2023 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0	
16/6/23	...कुमार ...रोडेन प्र0/R.C ...हाजिर ... ... पत्रावली दिनांक 6/10/23 को पेश हो।	

27/8/24 वकील वादी .... उपस्थित।
साविक आदेश दिनांक.......
की पालना में पत्रावली वास्ते हलफी बयान प्रस्तुत
दिनांक 02/09/24 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

9/9/24 अनुपालना संशोधन एस०/P.C
वास्ते [illegible]
आगामी दिनांक 15/10/24
को पेश हो।

15/10/24 अनुपालना संशोधन एस०/P.C
वास्ते अधि. कार्य में व्यस्त
आगामी दिनांक 19/11/24
को पेश हो।

19/11/24 अनुपालना संशोधन एस०/P.C
वास्ते [illegible]
आगामी दिनांक 7/1/25
को पेश हो।

7/1/25 वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। वकील व उनके प्रार्थी को बार-बार आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र वास्ते वकील प्रार्थी के अदम पैरवी व अदम हाजरी में इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल हुआ दर्ज रजिस्टर हो। नकल हो बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया

उपखण्ड अधिकारी SDO
कठूमर (अलवर) राज०